

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013—भाद्र 7, शक 1935

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्र. एफ.-1-3-2009-अड़तीस-3.—यतः महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के कार्यकलापों के कुप्रबंध के कारण राज्य सरकार ने महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 52 की उपधारा (1) के अनुसरण में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त 2011 जारी की थी जिसके द्वारा यह निदेशित किया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध 29 अगस्त, 2011 से उक्त विश्वविद्यालय को लागू होंगे और समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त, 2012 द्वारा उक्त अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि को एक वर्ष की और कालावधि के लिए बढ़ाया गया था.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि को और एक वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. एन. कांसोटिया, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्र. एफ.-1-3-2009-अड़तीस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.-1-3-2009-अड़तीस-3, दिनांक 27 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. एन. कांसोटिया, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th August 2013

No. F-1-3-2009-XXXVIII-3.—WHEREAS, due to mismanagement of affairs of Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic University, Ujjain, the State Government in pursuance of sub-section (1) of Section 52 of Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008), has issued a notification of even number dated 29th August 2011, whereby directed that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of Section 52 of said Act shall apply to the said university from 29th August, 2011 and extended the period of operation of the said notification by further period of one year by notification of even number dated 3rd August, 2012.

NOW, THEREFORE, in exercise, of the powers conferred by sub-section (2) of Section 52 of the said Act, the State Government, hereby extends the period of operation of the said notification by further period of one year from the appointed date.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. N. KANSOTIYA, Principal Secy.